एसबीआई ने शुरू किया पौधरोपण अभियान

भोपाल (काप्र)।

पर्यावरणीय पहल के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ललितांबा सोशल वेलफेयर सोसाइटी के साथ मिलकर भोपाल के भेल कैंपस में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है।

इस पहल का उद्देश्य मानव गतिविधियों के पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने और एक हरित और सतत भविष्य के लिए बीज बोना है। इसका उद्देश्य 28 फरवरी तक विभिन्न प्रकार के पेड़ों को लगाना है, जिसमें लगभग अलग-अलग प्रजातियों के पेड़ लगाए हैं। इस कार्यक्रम मे भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक मानव संसाधन एवं विकास अधिकारी ओ.पी. मिश्रा, उप प्रबंध निदेशक बिनोद कुमार मिश्रा, चंद्रशेखर शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक कुंदन ज्योति, महाप्रबंधक अमिताभ पाराशर, महाप्रबंधक नीरज प्रसाद, महाप्रबंधक दीपक कुमार झा, उपमहाप्रबंधक एवं मंडल विकास अधिकारी, लोकेश चंद्र उप महा प्रबन्धक, सहित महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और पेड़ लगाने में व्यापक भूमिका निभाई। ओ.पी. मिश्रा उप प्रबंध निदेशक मानव संसाधन एवं विकास अधिकारी ने पेड़ों के महत्व को जानकारी दी, और बैंक की हरित पर्यावरण और कार्बन नूट्रीलिटी में सशक्त योगदान की बात की। उन्होंने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक हमेशा से ऐसे व्यापक पेड़ लगाने के कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जो पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बात को और भी मजबूती से दर्शाते हुए, श्री बिनोद कुमार मिश्रा उप प्रबंध निदेशक ने पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत योगदान देने की महत्ता को जोर दिया, और सभी को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की सलाह दी।

बोरवन पार्क की सुरक्षा के लिए बन रही सुरक्षा दीवार

भोपाल (हिनप्र)। पंडित दीनदयाल उपवन बोरवन पार्क की सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है, जिससे मवेशियों से पेड़ को बचाना संभव होगा। बोरवन क्लब ने पार्क के विकास कार्यों के लिए विधायक रामेश्वर शर्मा का आभार जताया है। जगदीश आसवानी ने बताया की कुछ समय पहेल विधायक रामेश्वर शर्मा को समस्या से अवगत करवाया था, इसके परिणाम स्वरूप बाउंड्री वॉल सहित अन्य विकास कार्य हो रहे हैं। पार्क के विकास के लिए दीनदयाल बोरवन क्लब के शेट्टी चंदनानी, सुरेश गेहानी, सुनील दादलानी, रवि नारायण सतानी, दिनेश सोनी आदि पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का भी आभार जताया है।

बेहतर ट्रैफिक के लिए अभियान शुरू

भोपाल (काप्र)। शासन के मंशानुसार पुलिस उपायुक्त यातायात के निर्देशन में नगरीय यातायात पुलिस भोपाल द्वारा नगर निगम टीम के साथ शहर के प्रमुख मार्केट टी.टी नगर मार्केट, एम पी नगर मार्केट एवं 10 नम्बर मार्केट में अवैध पार्किंग, दुकान के बाहर सामान रखने, पुराने वाहन विक्रेता दुकान एवं कार डेकोरेट करने वाले पर कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में निर्धारित दुकान के बाहर सामान दुकान मालिक का सामान दुकान के अंदर रखवा कर, सामान न रखने हेतु समझाइश दी गई, रोड पर अव्यवस्थित खडे वाहन जिनसे यातायात बधित हो रहा था जो की जाम निर्मित होने का कारण बन रहा था ऐसे वाहनों के

विरूद्ध कार्यवाही कर उन्हें व्यवस्थित मल्टीलेबल पार्किंग में खडा किया गया। डीबी मॉल के सामने पुराने वाहन विक्रेता द्वारा रोड पर लगभन 65-70 कार खडी कर रखी थी जिससे मार्ग अवरूद्ध हो रहा था, जिससे आये दिन यातायात जाम की स्थिति निर्मित हो रही थी इससे आम जन को आवागमन में परेशानी हो रही थी ऐसे वाहनों को वहां से हटवाया गया साथ ही 53 वाहनों के विरूद्ध नो-पार्किंग कार्यवाही तथा 85 वाहनों को टोइंग कर हटाया साथ ही दुकान संचालक को निर्देशित किया कि दुकान के बाहर काम करते नजर आये तो दुकान संचालक के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

नायर समाज के प्रतिनिधि मंत्री गौर से मिले

भोपाल (काप्र)

राजधानी के नायर समाज के पदाधिकारियों और कार्यकारी समिति के सदस्यों ने राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (गोविंदपुरा) श्रीमती कृष्णा गौर से गुरुवार को मुलाकात की और उन्हें नवगठित सरकार में मंत्रिमंडल में चुने जाने पर बधाई दी।

भोपाल नायर समाज के अध्यक्ष एजी वल्लभन ने कहा कि श्रीमती कृष्णा गौर नायर समुदाय के लिए ताकत का एक स्तंभ रही हैं और एक प्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें लोकप्रिय प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है।

उन्होंने आगे कहा कि भोपाल नायर समाज माननीय मंत्री को उनके निर्वाचन क्षेत्र और उसके बाहर जो भी काम करेगी, उसमें खुशी और समृद्धि लाने के उनके प्रयासों में हर संभव मदद करेगा।

पुरी के शंकराचार्य आज भोपाल में

भोपाल(काप्र)। गोवर्द्धनमठ पुरी पीठाधीश्वर शंकाराचार्य निश्चलानंद सरस्वती कल राजधानी आएंगे। वे कल रात 10.18 बजे नर्मदा एक्सप्रेस से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचकर नरेंद्र मिश्रा के निवास पर जाएंगे और वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। 30 दिसंबर को सुबह 11.30 बजे 185 रोहित नगर फेज-2 में पत्रकारों से चर्चा करेंगे। सायं 5.30 बजे मानस भवन में प्रश्नोत्तरी एवं हिन्दू राष्ट्र संगोष्ठी, आशीर्वचन में शिरकत करेंगे। 31 दिसंबर को 10.30 बजे प्रश्नोत्तरी दर्शन दीक्षा समारोह में शामिल होने के बाद रात्रि 10 बजे दिल्ली प्रस्थान करेंगे।

संस्कार विद्यालय में भवन विस्तार के निर्माण कार्य का भूमि पूजन सम्पन्न

भोपाल (हिनप्र)। दीपामाला पागारानी पब्लिक स्कूल के भवन निर्माण में विस्तार करते हुए कमरों एवं इनडोर खेल मैदान का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसके लिए पूजन संस्था के अध्यक्ष सुशील वासवानी सचिव बसंत चेलानी व अन्य पदाधिकारियों ने किया। इस अवसर वासवानी ने कहा कि वास्तव में ये जो सारा काम है, वह श्रीरामजी कृपा से हो रहा है, इसलिए आज छोटे रूप में राम धुनी लगाई गई है। विद्यालय में अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में यह निर्माण कार्य भी एक कदम है। चेलानी ने कहा कि विद्यालय भवन के विस्तार में कमरों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है ताकि बच्चों को सुविधा मिल सके। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारी नरेश वासवानी, पुरूषोत्तम टिलवानी, महेश प्रेमचन्दानी, अशोक हिमथानी, राजेश दाकड़, विद्यायल के प्राचार्य आर. के. मिश्रा, प्राधानाचार्या मृदुला गौतम, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित थे।

कांग्रेस के स्थापना दिवस पर संतनगर में हुए कार्यक्रम

भोपाल (हिनप्र)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 139 वां स्थापना दिवस संतनगर में मनाया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। देश की अखंडता और देश के संविधान को बचाए रखने का संकल्प लिया।

ब्लॉक अध्यक्ष अशोक मारण ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए ओ हूम्म द्वारा मुंबई में की गई थी जिसका उद्देश्य समाज और राष्ट्र को एक जुट कर देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद करना था कांग्रेस के महान नेताओं ने आजादी के लिए बहुत बडा योगदान दिया। भरोसे भगवानिया ने कहा कि कांग्रेस मात्र एक ऐसी पार्टी है जिसका एक- एक कार्यकर्ता देश की अखंडता और देश के संविधान को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी तत्पर रहता है। कार्यक्रम में उप ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम लालवानी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता माधु चांदवानी, प्रवक्ता महेश गुरबानी, जगदीश सांवले, अनिल टेकचंदानी, सुरेश सिंगरोली व अन्य कांग्रेसजन मौजूद रहे।

पेज 1 से जारी खबरों के शेष...

कलेक्टर-एसपी...

मोहन यादव ने कहा कि मैंने हादसे के बाद कलेक्टर-एसपी से बात की थी। यह घटना हृदय विदारक है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी घटना दोबारा न हो। मैंने जांच के आदेश दिए हैं। बस का परमिट नहीं था तो वह कैसे चल रही थी। जिस टर्निंग पॉइंट पर यह टक्कर हुई, उसका क्या कर सकते हैं, यह भी देखेंगे। सभी डेंजर जोन को चिन्हित कर ठीक किया जाएगा। जो भी जवाबदार होगा, उसे नहीं छोड़ेंगे। मैं दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ हूं। भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के साथ ही ऐसी घटनाएं न हों, इसके प्रबंध भी किए जाएंगे। गुना में हुए हादसे पर मुख्यमंत्री के जांच के आदेश के बाद जांच समिति गठित हो गई है। तीन दिन में यह समिति राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। गुना के अपर कलेक्टर मुकेश कुमार शर्मा को जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके नेतृत्व वाली समिति में गुना एसडीएम दिनेश सावले, ग्वालियर से संभागीय उप परिवहन आयुक्त अरुण कुमार सिंह और गुना के विद्युत सुरक्षा सहायक यंत्री प्राणसिंह राय भी शामिल हैं। समिति घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी। इनमें दुर्घटना के कारण, दुर्घटनाग्रस्त बस और डम्पर को प्राप्त विभिन्न अनुमतियों, बस में आग लगने के कारण, उत्तरदायी विभागों की भूमिका आदि की जांच शामिल है। तीन दिन में यह रिपोर्ट तैयार करनी होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मुख्य सचिव को गुना हादसे में अन्य दोषी अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही परिवहन विभाग को दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने को कहा गया है। राज्य स्तर से सभी कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देश भेजे जा रहे हैं कि यदि बगैर परमिट के वाहन चलते हैं तो सतर्कता बरतें और दोषियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाएं। गुना बस हादसे को लेकर नए खुलासे हुए हैं। इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सीएल मुकाती ने कहा है कि बस 15 साल पुरानी थी। यह बस कैसे सड़क पर चल रही थी? बताया गया कि बस गुना भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष विश्वनाथ सिकरवार के छोटे भाई भानुप्रताप की है। भानुप्रताप और बस तथा डंपर के ड्राईवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। परिवहन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं, डॉ. मोहन यादव ने भी हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को न बख्शने की बात कही है। बुधवार को गुना से आरोन जा रही बस की डंपर से टक्कर हुई थी। इसके बाद बस में आग लग गई। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पीडब्ल्यूडी और कृषि विभाग की समीक्षा बैठक टाल दी। सीएम घायलों का हाल जानने गुना पहुंचे।

डॉ. मोहन गुना पहुंचे...

होने की ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि शासन-प्रशासन घायलों के इलाज के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगा। उपचार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। डॉ. यादव ने जिला चिकित्सालय गुना के वार्ड में इलाज करा रहे घायलों के प्रत्येक बेड पर जाकर उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली तथा उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने और इलाज के संबंध में आश्वासन प्रदान किया। इस दौरान क्षेत्रीय सांसद डॉ. के.पी. यादव, सांसद डॉ. रोडमल नागर, विधायक गुना श्री पन्नालाल शाक्य, श्री धर्मेन्द्र सिंह सिकरवार सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रूपये तथा गंभीर घायलों को 50-50 हजार रूपए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुना की बस दुर्घटना मामले में लापरवाही के लिए गुना के जिला क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री रवि बरेलिया और नगर पालिका गुना के मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री बी.डी. कतरोलिया को गुना हादसे के बाद फायर बिग्रेड सेवाएं उपलब्ध न कराए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश भी दिए।

सिंधी कविता प्रतियोगिता में मायरा ने जीती स्मार्ट वॉच

भोपाल (हिनप्र)। साधु वासवानी स्कूल की छात्रा मायरा तेजवानी ने सातवीं जी इंटरनेशनल सिंधी कविता प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें तृतीय स्थान पर रहकर स्मार्ट वॉच हासिल की। शिक्षाविद् विष्णु गेहानी ने मायरा को बधाई देते हुए कहा इस छोटी बच्ची ने सिंधियत की शान बढ़ाई है। सुतापा जॉयसवाल, उपप्राचार्या स्वाति कलवानी, दीपा आहूजा आदि शिक्षक-शिक्षिकाओं ने बधाई दी।

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल
तेंदू कॉलोनी प्रकोष्ठ, शाहपुरा

क्रमांक 1359/का.प्र./2023 भोपाल दिनांक 22.12.2023

॥ सार्वजनिक विज्ञप्ति ॥

मध्यप्रदेश नगर पालिक (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 13 (2) के अन्तर्गत सर्वसाधारण जनता की जानकारी के लिए इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री/अध्यक्ष/**मेसर्स हाई नेटवर्थ इंटरप्राईजेस एलएलपी** द्वारा श्रीमती रितु गुप्ता पत्नि श्री मयंक गुप्ता पुत्री श्री राम नारायण गुप्ता एवं भूमि स्वामी श्री सरदार सिंह पुत्र श्री मेहताब सिंह व श्री गजराज सिंह पुत्र श्री मेहताब सिंह द्वारा ग्राम खजूरी कलां स्थित भूमि खसरा क्रमांक 223/1, 224/3/1 कुल रकबा 2.420 हेक्टे. मे से 1.884 हेक्टे. पर भोपाल नगर पालिका निगम क्षेत्र के अधीन भूखण्ड धारक होकर क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी **KASTURI HABITAT PHASE-II** निर्मित करने जा रहे है के द्वारा कुल बंधक किया गया भूखण्डों का क्षेत्रफल 2509.44 व.मी. नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल द्वारा जारी अनुमोदित मानचित्र क्रमांक-BPLLP280823794 दिनांक 25.10.2023 में दर्शित भूखण्ड क्रमांक-17 क्षेत्रफल-144.27 व.मी., भूखण्ड क्रमांक-18 क्षेत्रफल-175.53 व.मी., भूखण्ड क्रमांक-38 क्षेत्रफल-155.59 व.मी., भूखण्ड क्रमांक-39 क्षेत्रफल-113.16 व.मी., भूखण्ड क्रमांक-42 क्षेत्रफल-163.13 व.मी., भूखण्ड क्रमांक-48 क्षेत्रफल-157.21 व.मी., भूखण्ड क्रमांक-49 क्षेत्रफल-110.44 व.मी., भूखण्ड क्रमांक-51 क्षेत्रफल-133.95 व. मी., भूखण्ड क्रमांक-80 क्षेत्रफल-139.01 व.मी., भूखण्ड क्रमांक-81 क्षेत्रफल-150.73 व.मी., भूखण्ड क्रमांक-82 क्षेत्रफल-162.39 व.मी., भूखण्ड क्रमांक-83 क्षेत्रफल-174.06 व.मी., भूखण्ड क्रमांक-84 क्षेत्रफल-185.2 व.मी., क्रमांक-86 क्षेत्रफल 162.29 व.मी., भूखण्ड क्रमांक-93 क्षेत्रफल- 143.28 व.मी., भूखण्ड क्रमांक 03 क्षेत्रफल-106.4 व.मी., भूखण्ड क्रमांक-13 क्षेत्रफल-106.4 व.मी., भूखण्ड क्रमांक-23 क्षेत्रफल-106.4 व.मी., इस प्रकार कुल 18 भूखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 2589.44 व.मी., नगर निगम, भोपाल के पक्ष में बन्धक रखे गये है। नगर निगम, भोपाल के पक्ष में बंधक रखे गये है। ये भूखण्ड इस क्षेत्र की कॉलोनी का आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नियमानुसार बंधक मुक्त किये जायेंगे तथा इसी के पश्चात् इन भूखण्ड का विक्रय किया जा सकेगा।

अतः सर्वसाधारण इन भूखण्डों के संबंध में न तो अनुबंध करें न ही किसी भी प्रकार के विक्रय, बंधक तथा अंतरण की कोई कार्यवाही करें अन्यथा वह निरस्त मानी जावेगी। अतः सूचित हो।

सक्षम प्राधिकारी एवं मुख्य नगर निवेशक नगर पालिक निगम, भोपाल

3861

खोया-पाया

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैने बी.डी.ए. सलैया स्थित भूखंड क्रं. डी-357 को वीरेन्द्र माहौर से क्रय किया था तथा उनके द्वारा प्रदत्त पुराने दस्तावेज-पुस्तक क्रं. अ-1, ग्रन्थ क्रं.-743 दस्तावेज क्रं. 792 (1) दि. 14.01.2014 पर इन्द्राज है, इसका अंतिम पृष्ठ मुझसे कहीं गुम हो गया है। उक्त पृष्ठ का कहीं भी दुरूपयोग न किया गया है न भविष्य में हो सकेगा। सर्वसूचनार्थ।

उर्मिला चन्देल
301, सैफायर निखिल नैसल्स निखिल बंगलों होशंगाबाद रोड भोपाल (म.प्र.) 462026, **मो.** 7224080349

3867

नाम परिवर्तन

मेरा नाम गुरजीत सिंह है। लेकिन मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम गुरजीत सिह सेतिया है। दोनो ही नाम मेरे ही है। अतः मुझे गुरजीत सिह सेतिया के नाम से जाना जाए।

पता:-16-A/1 पंजाबी बाग गुरुद्वारा के पास गोविन्दपुरा, भोपाल।

मो.नं. 9826952082 3865

आम सूचना

मेरे पक्षकार के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने 1 श्री राजू माली, 2. श्री दीपक माली दोनो पुत्रगण श्री हीरालाल एवं 3. श्रीमती सावित्री बाई पत्नी श्री हीरालाल माली सभी निवासी-मकान नं. 175, प्रीत नगर, छोला, शहर भोपाल (म.प्र.) के स्वतंत्र, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खिलित जो कि खसरा नंबर 153/2(S) रकबा 0.8000 हेक्टेयर संपूर्ण में से रकबा 0.1439 हेक्टेयर अर्थात 0.3556 एकड़ है। जो कि ग्राम डोब, पटवारी हल्का नंबर 17 पुराना 12, राजस्व निरीक्षक मण्डल-03, विकास खण्ड फन्दा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) में स्थित है। जिसकी चतुर्थ सीमायें:-पूरब में-अंकित सीमी की भूमि, पश्चिम में-खसरा नं. 153/2 की शेष भूमि, उत्तर में-खसरा नंबर 153/2 की शेष भूमि, दक्षिण में-मेढ़ा (ग्राम सूखी सेवानिया-डोब) है। जिसे क्रय करने हेतु मेरे पक्षकार ने अनुबंध पत्र कर बयाना राशि अदा कर दी है शीघ्रि ही विक्रय पत्र का पंजीयन कराया जाना है। यदि उपरोक्त वर्णित संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी हिस्सा भाग से किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय, व्यक्ति, वित्तीय संस्था, बैंक, सोसायटी, एवं अन्य का किसी प्रकार का कोई हित, स्वत्व, संबंध या किसी प्रकार का कोई लेन-देन हो अथवा उक्त संपत्ति कहीं भार, सम्यक, बंधक आदि हो तो वह इस आम सूचना प्रकाशन के 7 दिवस की अवधि में मय प्रमाण सहित दस्तावेज मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें। समयावधि निकल जाने के पश्चात् किसी भी प्रकार का दावा, स्वत्व या आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी और मेरे पक्षकार उक्त संपत्ति के विक्रय पत्र का पंजीयन अपने पक्ष में करवाने के लिये स्वतंत्र होंगे।

भवदीय **एल.के. विश्वकर्मा**, एडवोकेट
भवदीय **शरद कुमार विश्वकर्मा** एडवोकेट
सॉई सुमन लॉ चेम्बर शॉप नं. 1, प्रथम तल, रोकड़ कम्पलिका, अयोध्या बी.डी.ओ., रीवा मार्केट, भोपाल
मो.-9826725135,9425999043

3860

कार्यालय:- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
हिन्दुस्तान गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल
(पंजीयन क्रमांक/डी.आर.बी./298, दि. 17.08.1972)
क्रमांक/निर्वा.अधि./2023/03 दि. 28.12.2023

सूचना

संस्था के समस्त सम्मानीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन विशेष साधारण सम्मेलन में सम्पन्न होना है। अतः संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था के नोटिस बोर्ड, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल, विकासखण्ड कंदा एवं भोपाल को-ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड, शाखा टी.टी. नगर, भोपाल के सूचना पटल पर दिनांक 28/12/2023 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 28/12/2023 से 04/01/2024 तक कार्यालयीन दिवस में मुझे कार्यालय-उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में दोपहर 01 से 03 बजे तक सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते है तथा प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण कार्यालय-उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में दिनांक 05/01/2024 को दोपहर 01 बजे से किया जाकर दिनांक 05/01/2023 को सदस्यता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा। सूचना संस्था के समस्त सदस्यों को स्पीड पोस्ट/ साधारण डाक द्वारा पृथक से प्रेषित की गई है।

(सत्यम् चतुर्वेदी)
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
हिन्दुस्तान गृह निर्माण सहकारी संस्था, मर्यादित, भोपाल (म.प्र.)

3862

कार्यालय थाना प्रभारी थाना बिलखिरिया जिला भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक/668-A /23 **आम सूचना** 21/12/23

इस न्यायालय में थाना बिलखेरिया में जप्तशुदा वाहन 27 नग धारा 25 पुलिस एक्ट में जप्त कर राजसात की प्रक्रिया प्रचलन में है। पुलिस रेगुलेशन की धारा 25 पुलिस एक्ट के अधिकारों का उपयोग करते हुये कुल जप्तशुदा 27 वाहनों की नीलामी आगामी समय में होना है जो जरजर और क्षतिग्रस्त अवस्था में थाना बिलखिरिया के प्रांगण में रखे है उक्त वाहनों में आज तक किसी ने दावा प्रस्तुत नहीं किया है जिनका नियमानुसार निराकरण करने हेतु आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त वाहनों पर दावा आपत्ति के स्वामित्व अधिकार प्रस्तुत करने हेतु विज्ञापन के नियत समय तक आ सकता है उसके बाद जप्तशुदा वाहनों की निलामी निष्पादित की जायेगी।

क्र.	वाहन का प्रकार	वाहन क्र.	इंजन क्रं.
1	हीरो होण्डा CD DELUX BLUE BLACK	MP04JM8342	HA11ECC9G05475
2	हीरो होण्डा CD DAWN RED COLOR	MP04NR7166	04M27E05064
3	BAJAJ DISCOVER RED BLACK	MP38MC8821	.JBUBUA56194
4	BAJAJ DISCOVER RED BLACK	MP04FM9698	JBUBUL5846
5	हीरो होण्डा PASSION BLUE BLACK	MP37BA2538	03J08M08744
6	होण्डा CB TWISTER BLACK COLOR	MP04AM5062	JC47E2040250
7	TVS SPORT बैगनी कलर	MP37MJ7528	DFSDE1155748
8	हीरो होण्डा PASSION RED COLOR	UP52M3506	HA10EB8GB59284
9	BAJAJ DISCOVER BLACK COLOR	MP04KM3045	JBZWCD19379
10	TVS VICTOR BLACK COLOR	MP04NK2355	N3207M159373
11	SCOOTY PEP BLUE COLOR	MP04SH4937	0G3882400262
12	BAJAJ CT100 BLACK COLOR	MP04NU2606	DUMBMF04613
13	BAJAJ DISCOVER BLACK COLOR	MP37ME6521	JBUB5M54739
14	ACTIVA WHITE COLOR	MP04SL2412	JC44E2469438
15	BAJAJ PULSAR DTS-I BLACK COLOR	MP04MH9235	DHGBNG48529
16	हीरो होण्डा PASSION BLACK BLUE	MP04NH8376	02A21M13297
17	YAMAHA CRUX RED BLACK COLOR	MP40BC7154	5KA6099924
18	BAJAJ DISCOVER RED BLACK	MP04MZ1986	JZMBTK64553
19	हीरो होण्डा SPLENDOR BLACK COLOR	MP04NG2572	22818
20	BAJAJ PLATINA BLACK COLOR	MP04MS0383	JPMBRK25351
21	PLEASURE BLACK COLOR	MP04SG6864	JF16EBAGM14519
22	TVS SPORT BLACK WHITE COLOR	MP04MQ6629	CF5B91207397
23	हीरो HUNK RED COLOR	MP04EM1173	KC13EEBGF01617
24	होंडा HONDA SHINE BLACK COLOR	MP04UM8010	JC65E70599451
25	BAJAJ PULSAR BLACK COLOR क्रमांक	MP04MF4852	इंजन क्रं. मिटा हुआ है
26	GOODS CARRIER TRUCK	MP04GA4316	497SPTC40EYY627287
27	GOODS CARRIER TRUCK	U20733431	

संपर्क:- **आशीष श्रीवास**-7587601391, **वापू सिंह- 8319640079**

थाना प्रभारी
थाना बिलखिरिया जिला भोपाल (म.प्र.)

जी-22376/23

न्यायालय तहसीलदार तहसील कोलार भोपाल
क्रमांक-1182/अ-6/2023-24

॥ इश्तहार ॥

आवेदक श्री नरेन्द्र सिंह लोधी आ. श्री लोक सिंह लोधी, निवासी-460/10/ टाईप चार स्पेशल/रेल सौरभ कॉलोनी बजरंग कॉलोनी सिविल लाईन्स जबलपुर म.प्र. द्वारा ग्राम कटारा स्थित खसरा क्रमांक 42, 43,44,45, 50, 53, 54, 56/2/ग, 48/2 एवं 55/1 के अंश भाग पर एक किता फ्री-होल्ड आवासीय डुप्लेक्स मकान क्रमांक ए-25 क्षेत्रफल 91.79 वर्गमीटर का विक्रय पत्र क्रमांक एमपी 059702022ए1678937 दिनाक 24.06.2022 से क्रय की है क्रय उपरांत उक्त सपत्ति का नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस संबंध में किसी कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति इस आम सूचना के जारी होने के दिनांक 05.01.2024 में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 27/12/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायाल की पद मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील-कोलार, जिला-भोपाल

3846

न्यायालय तहसीलदार नजूल वृत्त एमपी नगर भोपाल मध्यप्रदेश
(07 नंबर बस स्टॉप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, शिवाजी नगर भोपाल)
ग्राम-खजूरीकला. प्रकरण क्र. 2162/अ-6/2023-24

// इश्तहार //

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित भूमि/भूखण्ड **C-100** के नामांतरण कार्यवाही स्तम्भ-4 में अंकित के स्थान पर स्तम्भ-5 में अंकित व्यक्ति के नाम की जा रही है। अतः उक्त नामांतरण मे हित रखने वाले सभी व्यक्तियो को सूचित किया जाता हैं कि वे निश्चित दिनांक को या तो स्वयं किसी अभिभाषक अथवा प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित हो तथा नामांतरण में कोई आपत्ति हो तो प्रस्तुत करे। क्रेता महेश कुमार आथनकर आ. श्री भीमराव आथनकर विक्रेता मेसर्स पुनीत गोधा द्वारा भागीदार श्री पुनीत गोधा पुत्र स्व. श्री एस.सी गोधा भूमि का विवरण स.क्र. पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक खजुरी कला **C-100** ग्राम नगरीय क्षेत्र का नाम खजुरी कला सर्वेक्षण संख्या/क्रमांक ब्लाक संख्या/क्रमांक भू-खण्ड संख्या/ क्रमांक 228/2/1, 228/2, 227/3, 206/1/1 से 206/1/14 तक क्षेत्रफल 122.265 हेक्टयर/वर्गमीटर मनियत दिनांक 04.01.24-के बाद प्रस्तुत आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज 26.12.23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से आधीन जारी किया गया।

तहसीलदार
एम.पी.नगर वृत्त भोपाल

3859

In The Court Of Motor Accident Claims Tribunal, District Court Bhopal
Presiding Officer:**अमिताभ मिश्रा**
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(MACC/9202053/2017)
राधेश्याम उर्फ राधिकशन ..... वादी V/S
मांगीलाल स्वामी..... प्रतिवादी
Process Id- /2023
पेशी दिनांक : 30/01/2024

प्रेषिती: (1) सत्यसांची बंदोपाध्याय पता- जी 47 ए फारच्यून ग्लोरी बावड़िया कला भोपाल।

यह कि प्रार्थी राधेश्याम उर्फ राधिकशन ने आपके विरुद्ध आवेदन अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम 1988 के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में सूचना प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिए उपसंजात/हाजिर होने के लिए सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों को उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें। जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते ह